संख्या- 197 /2016 /314/ चार-2016-24(ते0वि0आ0)/11

प्रेषक,

डा0 हरिओम
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 13 दिसम्बर, 2016

विषय:- तेंरहवे वित्त आयोग के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय हैरीटेज संकिसा बौद्ध पर्यटन स्थल के विकास हेतु पहुँच मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्तर्राष्ट्रीय हैरीटेज संकिसा बौद्ध पर्यटन स्थल के विकास हेतु पहुँच मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन धनराशि रू0 1026.17 लाख का परीक्षण करते हुए प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत धनराशि रू0 1016.99 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-1724/चार-2012-24(ते0वि0आयोग)/11 दिनांक 21 दिसम्बर,2012 द्वारा धनराशि रू0 332.19 लाख , शासनादेश संख्या- 972/चार-2014-24(ते0वि0आयोग)/11 दिनांक 29 अप्रैल,2014 द्वारा धनराशि रू0 312.00 लाख तथा शासनादेश संख्या- 28 /1098/चार-2015-24(ते0वि0 आयोग)/11 दिनांक 24मार्च, 2015 द्वारा धनराशि रू0 126.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 770.19 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गयी , तद्क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रश्नगत कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0 246.80 लाख (रूपये दो करोड छियालिस लाख अस्सी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- प्रश्नगत परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्य आदि विषयक शासनादेश संख्या- 1724/चार-2012-24(ते0वि0आयोग)/11 दिनांक 21 दिसम्बर,2012, शासनादेश संख्या- 972/चार-2014-24(ते0वि0आयोग)/11 दिनांक 29 अप्रैल,2014 तथा शासनादेश संख्या- 28 /1098/चार-2015-24(ते0वि0आयोग)/11 दिनांक 24मार्च, 2015 में उल्लिखित प्रतिबन्ध /शर्ते यथावत् रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-92 के लेखाशीर्षक -4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय -आयोजनागत-04-कला तथा संस्कृति -106-संग्रहालय-04 तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन-0401-ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों , संग्रहालयों के प्रतिरक्षण एवं सरंक्षण तथा प्रमुख विरासत स्थलों को जोडने वाली सड़को का सुदृीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(डा0 हरिओम)
सचिव।

संख्या - 197 / 2016 / 314(1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख अभियन्ता , विकास एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
3- मण्डलायुक्त , इलाहाबाद।
4- जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद ।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, संस्कृति विभाग, झाँसी।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
10- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड , फतेहगढ, लोक निर्माण विभाग, फतेहगढ।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,
(लुटावन राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/